राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
जिला मुख्यालय
टोडरमल मार्ग, बनीपार्क, जयपुर – 302016 (राज.)
टेलीफोन व फैक्स नं. – 0141–3510171 ई-मेल – div_jaipur2008@rediff.com

क्रमांक : म.मु. / एफ.2( ) / संस्थापन / निविदा / सरोवर / 2023–24 / 03 जयपुर, दिनांक : 06.04.2023

खुली प्रतियोगी बोली (खुली निविदा)

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय, बनीपार्क, जयपुर परिसर में स्थित **स्काउट सरोवर (तरणताल)** को संचालन मय रख–रखाव कार्य के साथ दिनांक 18.04.2023 से 17.09.2023 (05 माह) तक की अवधि के लिए अनुबन्ध पर देने हेतु (न्यूनतम कार्य राशि 04.00 लाख रू.) समस्त अनुभवी, पंजीकृत एवं प्रतिष्ठित कार्य करने वाली फर्मों / वास्तविक निविदादाताओं / उपयुक्त एजेन्सियों से दिनांक 13.04.2023 को दोपहर 02.00 बजे तक पूर्णतः भरी हुई मोहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती है।

निविदा से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी, शेष नियम एवं शर्तें राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in तथा राज्य मुख्यालय कार्यालय की वेबसाइट https://rajscoutguide.org पर देखी / डाउनलोड की जा सकती है।

Unique Bid Number :

पदेन सचिव
जयपुर
जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर

क्रमांक : म.मु. / एफ.2( ) / संस्थापन / निविदा / सरोवर / 2023–24 / 04-09 जयपुर, दिनांक : 06.04.2023

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् राज्य सचिव महोदय, रा.मु. जयपुर को वास्ते रा.मु. की वेबसाइट https://rajscoutguide.org पर प्रदर्शित करवाने हेतु।
2. श्रीमान् जिला मुख्यायुक्त / कोषाध्यक्ष महोदय, जि.मु. जयपुर
3. लेखाशाखा, म.मु. जयपुर
4. राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, राज्य / जिला मुख्यालय, जयपुर (वास्ते नोटिस बोर्ड)
5. श्री विपिन शर्मा, लिपिक ग्रेड–।। को संलग्न निविदा प्रारूप मय निविदा शर्तो के www.sppp.rajasthan.gov.in पोर्टल तथा https://rajscoutguide.org वेबसाइट पर प्रदर्शित करवाने हेतु।
6. कार्यालय रक्षित प्रत्रावली।

पदेन सचिव
जयपुर
जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड

जिला मुख्यालय

टोडरमल मार्ग, बनीपार्क, जयपुर – 302016 (राज.)

टेलीफोन व फैक्स नं. – 0141–3510171 ई-मेल – div_jaipur2008@rediff.com

निविदा शुल्क राशि रु. 500/–
न्यूनतम कार्य राशि रु. 4,00,000/–
बोली प्रतिभूति राशि रू. (दो प्रतिशत) 8,000/–
निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारम्भ तिथि – 07.04.2023 (प्रातः 10.00 बजे से)
निविदा प्रपत्र विक्रय की अन्तिम तिथि – 13.04.2023 (दोपहर 01.00 बजे तक)
निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि – 13.04.2023 (दोपहर 02.00 बजे तक)
निविदा खोलने की तिथि – 13.04.2023 (दोपहर 03.00 बजे)

–:: निविदा प्रपत्र – अ ::–

1. राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय, जयपुर पर स्थित **स्काउट सरोवर (तरणताल) संचालन मय रख–रखाव कार्य के साथ अनुबन्ध पर दिये जाने हेतु** निविदा :–
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के मालिक का नाम ....
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम ....
4. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता ....
   ....
   मोबाइल नम्बर .... दूरभाष नम्बर .... ई–मेल ....
5. निविदा जमा कराने का पता – पदेन सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय, टोडरमल मार्ग, बनीपार्क, जयपुर (राज.) 302016 (दूरभाष नम्बर – 0141–3510171)
6. संदर्भ – निविदा सूचना क्रमांक .... जयपुर, दिनांक ....
7. निविदा शुल्क राशि रू. 500/– डी.डी. न./बैंकर्स चैक .... दिनांक ....
8. मैं/हम राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय, जयपुर के द्वारा जारी की गई उक्त निविदा सूचना एवं संदर्भित निविदा में वर्णित समस्त शर्तों, अतिरिक्त शर्तों का पालन करने के लिए सहमत है तथा उक्त निविदा की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, जिनके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, (निविदादाता प्रत्येक पृष्ठ पर मय मोहर के हस्ताक्षर करें) का भी पालन करने के लिए सहमत एवं बाध्य होना स्वीकार करते हैं।
9. संलग्न वर्णित दरें दिनांक 15.04.2023 से 14.09.2023 (05 माह) तक के लिए विधिमान्य है। इससे आगे अवधि पारस्परिक सहमति के आधार पर बढाई जा सकती है।
10. बोली प्रतिभूति राशि रू. 8,000/– डी.डी. न./बैंकर्स चैक .... दिनांक ....
11. आयकर पैन नम्बर (छांयाप्रति संलग्न करें) ....
12. फर्म के पंजीयन प्रमाण–पत्र के रूप में जी.एस.टी. पंजीकरण संख्या (छांयाप्रति संलग्न करें) ....
13. तरणताल के संचालन एवं रख–रखाव के अनुभव प्रमाण–पत्र (कार्यानुभव) की छांयाप्रति संलग्न है।
14. विनिर्माता/वास्तविक डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि का घोषणा प्रत्र भी संलग्न है।
15. गत त्रैमास की जी.एस.टी. रिटर्न (GSTR-1/GSTR-3B/Other) की छांयाप्रति संलग्न है।
16. सी.ए. द्वारा प्रमाणित टर्नओवर (UDIN) विगत तीन वर्षों का (छांयाप्रति संलग्न करें)
    - 2020–21 : ....
    - 2021–22 : ....
    - 2022–23 : ....

(नोट – कृपया संलग्न अनुलग्नक–ई (चैक लिस्ट) की समस्त पूर्ति कर निविदा प्रस्तुत करें।)

स्थान : ....
दिनांक : ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
जिला मुख्यालय
टोडरमल मार्ग, बनीपार्क, जयपुर – 302016 (राज.)
टेलीफोन व फैक्स नं. – 0141–3510171 ई-मेल – div_jaipur2008@rediff.com

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

निविदा शुल्क राशि रु. 500/–
न्यूनतम कार्य राशि रु. 4,00,000/–
बोली प्रतिभूति राशि रू. (दो प्रतिशत) 8,000/–
निविदा प्रपत्र विक्रय की प्रारम्भ तिथि – 07.04.2023 (प्रातः 10.00 बजे से)
निविदा प्रपत्र विक्रय की अन्तिम तिथि – 13.04.2023 (दोपहर 01.00 बजे तक)
निविदा प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि – 13.04.2023 (दोपहर 02.00 बजे तक)
निविदा खोलने की तिथि – 13.04.2023 (दोपहर 03.00 बजे)

–:: निविदा प्रपत्र – ब ::–

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय, जयपुर पर स्थित **स्काउट सरोवर (तरणताल) संचालन मय रख–रखाव कार्य के साथ अनुबन्ध पर दिये जाने हेतु निविदा :–**

स्काउट सरोवर (तरणताल) संचालन मय रख–रखाव कार्य विवरण	न्यूनतम कार्य राशि	एकमुश्त् प्रस्तावित अनुबन्ध/ठेका राशि
संस्थान के परिसर में स्थित स्काउट सरोवर (तरणताल) जो कि 60 फुट लम्बा गुणा 30 फुट चौड़ा एवं 4.5 से 6.5 फुट तक गहरा है के दिनांक 18.04.2023 से 17.09.2022 (05 माह) तक के संचालन मय रख–रखाव कार्य के लिए एकमुश्त् दरें।	4,00,000/– रु.	**अंको में** .... **शब्दों में** ....

नोट :– रख–रखाव के अंतर्गत 90 टीसीसीए एवं आवश्यक कैमिकल्स डालकर, पानी को स्वच्छ रखना, सैक्शन मशीन (कम्पलीट) को चालू हालत में रखना सम्मिलित है।

मैंने/हमने निविदा की समस्त शर्तें पढ ली है और मैं/हम इन्हें मानने के लिए बाध्य हैं, मैं/हम/हमारी फर्म उपरोक्तानुसार स्काउट सरोवर (तरणताल) संचालन मय रख–रखाव कार्य हेतु दी गई एकमुश्त् अनुबन्ध राशि पर कार्य करने को तैयार/सहमत हैं। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी हमारी होगी।

स्थान. : ....
दिनांक : ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

फर्म का नाम ....
फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता ....
....
....
टेलीफोन नम्बर ....

जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड
जिला मुख्यालय
टोडरमल मार्ग, बनीपार्क, जयपुर – 302016 (राज.)

टेलीफोन व फैक्स नं. – 0141-3510171 ई-मेल – div_jaipur2008@rediff.com

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय, जयपुर पर स्थित **स्काउट सरोवर (तरणताल) संचालन मय रख–रखाव कार्य के साथ अनुबन्ध पर दिये जाने हेतु निविदा** के उपनियम एवं शर्तें :–

निविदादाता को निविदा देते समय इन शर्तों को अत्यन्त ध्यानपूर्वक पढना चाहिए क्योंकि इन शर्तों का निविदादाता द्वारा पालन करना अत्यावश्यक होगा :–

1. निविदा मोहरबन्द लिफाफे में देनी होगी। जिस पर **"स्काउट सरोवर (तरणताल) संचालन मय रख–रखाव कार्य"** स्पष्ट एवं मोटे अक्षरों में लिखा जायेगा। लिफाफे पर निविदादाता द्वारा अपनी फर्म का पूर्ण स्पष्ट पता एवं फोन/मोबाइल नम्बर आवश्यक रूप से लिखा जाना चाहिए।
2. फर्मो द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की निविदा को रद्द कर दिया जायेगा।
3. निविदा के साथ बोली शुल्क राशि रू. 500/– व बोली प्रतिभूति राशि रू. (दो प्रतिशत) 8,000/– का डी.डी./बैंकर्स चैक (नकद/चैक स्वीकार्य नहीं) **"राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जयपुर मण्डल जयपुर"** के पक्ष में; जयपुर में भुगतान योग्य बनवाना होगा। उक्त के अभाव में निविदा अस्वीकार कर दी जायेगी।
4. धरोहर राशि जमा कराने की स्थिति में धरोहर राशि का निम्न परिस्थितियों में पूर्ण या आंशिक रुप से समपहरण/जब्त किया जा सकेगा :–
   - जब निविदादाता द्वारा संविदा के किन्ही निबंधनो ओर शर्तों का उलघंन किया गया हो।
   - जब निविदादाता निविदा खोलने के पश्चात, किन्तु निविदा स्वीकृति से पूर्व निविदा वापिस लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
   - जब निविदादाता निर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार व आदेश को सम्पादित नहीं करता है।
   - जब दर स्वीकृति पश्चात् निविदादाता सुरक्षा राशि जमा नहीं कराता है।
   - धरोहर राशि का समपहरण/जब्त करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।
5. द्वितीय एवं तृतीय निम्नतम निविदादाताओं की धरोहर राशि सफल निविदादाता को कार्यादेश जारी करने के 15 दिवस पश्चात् लौटाई जायेगी, शेष निविदादाताओं की धरोहर राशि निविदा स्वीकृति के निर्णय के बाद शीघ्र लौटा दी जायेगी।
6. निविदादाता को विगत तीन वर्षों में से किसी एक वित्तीय वर्ष में निविदत्त न्यूनतम लागत के बराबर तरणताल संचालन मय रख–रखाव सम्बन्धित कार्य करने का सरकारी/अर्द्धसरकारी/राजकीय उपक्रमों/राजकीय संस्थानों/गैर राजकीय संस्थानों में सप्लाई/कार्य करने का अनुभव होना चाहिए। जिसमें एक कार्यादेश का मूल्य 01.50 लाख या इससे अधिक होना आवश्यक है। पुष्टि स्वरूप कार्य आदेशों/अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न करनी होगी तथा सम्बन्धित संस्थाओं से जारी सन्तोषजनक कार्य सम्पादन प्रमाण–पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक होगी अन्यथा वह तकनीकी/वित्तीय मापदण्ड के आधार पर अयोग्य माना जायेगा व उसके वित्तीय प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा। अनुभव प्रमाण–पत्र एवं सन्तोषजनक कार्य सम्पादन प्रमाण–पत्र का सत्यापन भी करवाया जा सकेगा।
7. निविदादाता को सी.ए. द्वारा प्रमाणित दस्तावेज (प्रमाण–पत्र), जिसमें इस व्यवसाय से सम्बन्धित आय का उल्लेख हो, मय UDIN संलग्न करना होगा।

जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर

8. निविदा केवल उन्हीं फर्मों द्वारा दी जानी चाहिए जो इस क्षेत्र के वास्तविक व्यवसायी हैं, फर्म इस क्षेत्र में अनुभव रखने वाली होनी चाहिए। निविदादाता किसी भी सरकारी/अर्द्धसरकारी/राजकीय उपक्रमों/राजकीय संस्थानों में ब्लैक लिस्ट नहीं हो, अतः इस हेतु एस.आर. प्रारूप–11 (संलग्न) में फर्म के लैटरपैड पर शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
9. राज्य सरकार से संबंधित पंजीकरण की सत्यापित प्रति मय पंजीकरण संख्या एवं उसकी मान्यता अवधि संलग्न करें। फर्म के पास तरणताल संचालन करने एवं सुरक्षा व्यवस्था सम्बन्धी योग्यता एवं मानक होना आवश्यक है।
10. तरणताल के निविदादाताओं को तरणताल के सफल संचालन एवं रख–रखाव का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है। राज्य के खिलाडियों को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान के मूल निवासी तैराकी के खिलाडी जो अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का भागीदार हो, राष्ट्रीय स्तर पर तैराकी प्रतियोगिता में पदक विजेता हो अथवा तैराकी में एन.आई.एस. डिप्लोमाधारी हो, के संवेदक फर्म में एकल स्वामित्व में प्रबन्धक, साझेदारी फर्म में साझेदार तथा कम्पनी की दशा में निदेशक होने की स्थिति में अनुभव, टर्नओवर व जी.एस.टी. भुगतान के सम्बन्ध में पूर्ण छूट प्रदान की जायेगी। जी.एस.टी. हेतु मात्र पंजीयन की प्राप्त होगा।
11. किसी भी निविदा को बिना कारण बताये पूर्ण अथवा आंशिक रूप से स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय, जयपुर के पास सुरक्षित रहेगा।
12. निविदा प्रपत्र में दरें स्याही अथवा टंकण द्वारा भरी जावे जो सुपाठ्य हो। पैन्सिल से भरी हुई निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा। विसंगति की स्थिति में शब्दों में भरी गयी दरें प्रभावी मानी जायेंगी।
13. दरें अंको एवं शब्दों में अंकित करें, दरों में परिवर्तन की दशा में निविदादाता दिनांक सहित लघुहस्ताक्षर करें। किसी भी प्रकार की कटिंग/ओवरराईटिंग नही करें तथा निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता द्वारा हस्ताक्षर मय मोहर किया जावे।
14. निविदादाता को निविदा संलग्न निर्धारित प्रपत्र में ही प्रस्तुत करनी होगी। अन्य कोई प्रपत्र स्वीकार नही होगा।
15. निविदादाता द्वारा संलग्न वर्णित दरें/अनुबन्ध दिनांक 18.04.2023 से 17.09.2023 (05 माह) तक की अवधि के लिए किया जायेगा। तदोपरान्त पारस्परिक सहमति के आधार पर अनुबन्ध को आगे के लिए बढाया जा सकता है। बढी हुई समयावधी के लिए आनुपातिक रूप से भुगतान करना होगा।
16. निविदादाता निविदा के किसी भी भाग को अन्य किसी व्यक्ति को सबलेट नही करेगा।
17. निरिक्षण/परिक्षण के दौरान सेवा का जो हिस्सा निर्धारित स्तर का नही होगा। उसे रद्द करने का अधिकार इस कार्यालय के पास सुरक्षित रहेगा।
18. निविदा की शर्तों के अतिरिक्त कोई अन्य शर्तें स्वीकार नही होगी। सशर्त निविदा स्वीकार नही की जावेगी।
19. राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय, जयपुर को किसी भी निविदा को जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, को स्वीकार करने का अथवा बिना कोई कारण बताये किसी भी निविदा/उसके किसी भी भाग को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
20. सफल निविदादाता को निविदा स्वीकृत एवं कार्यादेश प्राप्त हो जाने के 07 दिवस की अवधि के भीतर 500/–रुपये के नॉन ज्युडिशियल स्टाम्प पर एस.आर. प्रारुप 17 (संलग्न) में एक करार पत्र जमा कराना होगा। करार पत्र को पूर्ण करने एवं उस पर स्टाम्प लगाने के व्यय का भुगतान निविदादाता द्वारा किया जाएगा तथा इस कार्यालय द्वारा उस करार की एक निष्पादित स्टाम्पशुदा प्रतिपड़त (छांयाप्रति) निविदादाता को निःशुल्क दी जाएगी।

जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर

5

21. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्नालिखित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :–
- – यदि भागीदारी फर्म हो तो "पार्टनरशिप डीड" की अनुप्रमाणित प्रति।
- – यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत होतो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
- – एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलिफोन नं.।
- – कम्पनी के मामले में कम्पनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण–पत्र।

22. कार्य सन्तोषजनक न होने की स्थिति में कटौती के सम्बन्ध में राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय, जयपुर का निर्णय अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

23. निविदादाताओं का उसके प्रतिनिधि की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपना समर्थन कराना एक प्रकार की अनर्हता होगी।

24. सफल निविदादाता को कार्यादेश प्राप्त हो जाने के 03 दिवस की अवधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि (बोली राशि का 2.5 प्रतिशत) जमा करवाकर अनुबन्ध सम्पादित करना होगा, जिसमें बोली प्रतिभूति राशि का समायोजन किया जा सकेगा। कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का डी.डी. **"राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड जयपुर मण्डल जयपुर"** के पक्ष में जयपुर में भुगतान योग्य बनवाना होगा। इस कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि का निम्नलिखित प्रकरणों में पूर्णतः या अंशतः समपहरण किया जा सकेगा।
   - ➢ जब निविदादाता द्वारा संविदा के किन्ही निबंधनो ओर शर्तो का उलघंन किया गया हो।
   - ➢ जब निविदादाता संतोषप्रद रुप से निधारिंत अवधि में पूर्ण सेवा/सामग्री/प्रदाय करने में असफल रहता है।
   - ➢ राशि का समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में क्रेता अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

25. कार्य सम्पादन प्रतिभूति/सुरक्षा राशि/विशेष सुरक्षा राशि (टूट–फूट एवं विद्युत) पर इस कार्यालय द्वारा ब्याज का भुगतान नहीं किया जाएगा।

26. आपूर्ति की जाने वाली सेवा की दरें केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा निर्धारित सभी प्रकार के करों सहित अंकित करें।

27. नियमानुसार टी.डी.एस./जी.एस.टी. टी.डी.एस. एवं अन्य कटौती की जायेगी जिसके लिए पैन नम्बर/जी.एस.टी. नम्बर की प्रति निविदा के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।

28. जी.एस.टी. के सम्बन्ध में निविदादाता (बोलीदाता) को जी.एस.टी. अन्तर्गत आर.सी.एम. पद्धति के द्वारा नियमानुसार जी.एस.टी. का भुगतान स्वयं करना होगा। इस कार्यालय द्वारा जी.एस.टी. इत्यादि का कोई भुगतान नहीं किया जायेगा। केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जी.एस.टी. में संशोधन के अनुसार भुगतान की समस्त जिम्मेदारी बोलीदाता की होगी।

29. कोई भी निविदादाता यदि जी.एस.टी. अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है तो वह बोली प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।

30. कार्यादेश/अनुबन्ध में वर्णित कार्य सुचारू व सन्तोषजनक रूप से पूरा न करने पर यदि आवश्यक समझा गया तो कार्य निविदादाता के हर्ज–खर्च पर अन्य साधन से कार्य करवाया जायेगा तथा यदि इस व्यवस्था पर कोई अतिरिक्त व्यय इस कार्यालय को वहन करना पडा तो वह राशि सफल निविदादाता से वसूली योग्य होगी।

31. कार्य सन्तोषजनक नहीं होने अथवा अनुबन्ध की शर्तो के विरूद्व कार्य करने पर राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय, जयपुर को यह अधिकार होगा कि वह इस अनुबन्ध को किसी भी समय बिना पूर्व नोटिस के समाप्त कर दे।

32. कार्य में असफल रहने पर इस कार्यालय द्वारा तुरन्त वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है, उसमें जो भी अतिरिक्त व्यय होगा, वह निविदादाता द्वारा पुर्नभरण किया जायेगा। यदि राशि वसूल करना संभव नहीं हो तो राजस्थान पी.डी.आर.एक्ट या प्रदत्त अन्य किसी कानून के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

33. स्काउट सरोवर (तरणताल) संचालन मय रख–रखाव कार्य के सम्बन्ध में निर्धारित विशिष्ठ शर्तें "परिशिष्ट–1" जो इन शर्तों के साथ पृथक से संलग्न है, इन शर्तों का भाग होंगी।

जिला सचिव
जिला ...

34. सभी विवादों/विधिक कार्यवाही हेतु न्यायिक क्षेत्र, जयपुर (राज.) होगा।

35. उपरोक्त शर्तों के अतिरिक्त अन्य परिस्थितियों में सामान्य वित्तीय एवं लेखा निमय खण्ड–द्वितीय में वर्णित एस.आर. प्ररुप – 14, 15, 16, 17, राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2012 व 2013, वित्त (जीएण्डटी) विभाग की अधिसूचना दिनांक 18.12.2020 (हिन्दी अनुवाद दिनांक 15.02.2021) एवं वित्त (सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 23.12.2020 में दी गई समस्त शर्तें/प्रावधान यथावत लागू होंगे।

36. कोविड–19 महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में तत्समय जारी निर्देश प्रभावी होंगे।

मैंने/हमने उपरोक्त अनुसार वर्णित शर्तों को भली भाँति पढ लिया एवं समझ लिया है। मैं/हम उपरोक्त वर्णित समस्त शर्तों की पूर्ण पालना के साथ हमारी फर्म द्वारा दी गई एकमुश्त् अनुबन्ध राशि पर कार्य करने के लिए सहमत हैं।

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

फर्म का नाम ....

फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता ....

....

....

टेलीफोन नम्बर ....

जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर

स्काउट सरोवर (तरणताल) संचालन मय रख–रखाव कार्य
"विशिष्ट शर्तें"

1. स्काउट सरोवर (तरणताल) जिस स्थिति में है उसी दशा में अनुबंध पर दिया जावेगा।
2. तरणताल संचालन हेतु केन्द्र/राज्य सरकार के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अनुबंधकर्ता फर्म को राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों की भी पालना करनी होगी।
3. स्काउट सरोवर (तरणताल) का साईज 60 फिट लम्बा गुणा 30 फिट चौड़ा है एवं गइराई 4.5 से 6.5 फिट तक है।
4. सभी तैरने वाले संभागियों की सुरक्षा की सम्पूर्ण जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता फर्म की होगी, इस हेतु वह जीवन रक्षक किट व सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति तरणताल संचालन के निर्धारित समय के लिए करेगा तथा निर्धारित अवधि के लिए प्रशिक्षित तैराक रखेगा।
5. अनुबंधकर्ता फर्म को लड़के/लड़कियों के तैरने की व्यवस्था अलग–अलग समय पर करनी होगी। पुरूष वर्ग के लिए प्रशिक्षित पुरूष कोच एवं महिला वर्ग के लिए प्रशिक्षित महिला कोच रखना अनिवार्य होगा।
6. सभी तैरने वाले संभागियों का प्रवेश द्वार कांतिचंद रोड़ से स्काउट मैरिज गार्डन वाले गेट से होगा। प्रवेश द्वार खोलने व बंद करने की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता फर्म की होगी। संस्थान के परिसर में किसी भी प्रकार का प्रवेश नहीं रहेगा। परिसर में असामाजिक तत्वों का प्रवेश वर्जित होगा।
7. तरणताल पर बने सेनीटेशन ब्लॉक एवं समस्त फिटिंग व सामान आदि की जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता फर्म की होगी। तरणताल व लेट–बाथरूमों के टूट–फूट की समस्त जिम्मेदारी भी अनुबंधकर्ता फर्म की होगी।
8. बोरिंग की मोटर आदि के संचालन एवं संधारण की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता फर्म की होगी।
9. तरणताल भरने की अवधि व पूल संचालन की अवधि का बिजली का बिल अनुबंधकर्ता फर्म को राशि रू. 12/– प्रति यूनिट की दर के हिसाब से देना होगा।
10. अनुबन्ध की अवधि 18.04.2023 से 17.09.2023 (05 माह) तक होगी। परिस्थितिवश अवधि घटाई या बढ़ाई जा सकेगी।
11. तरणताल में तैरने वाले संभागियों/गार्ड/लाइफ गार्ड/प्रशिक्षित तैराक/कोच की जान–माल एवं अन्य दुर्घटना की समस्त जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता फर्म की होगी (इस कार्यालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी)। तरणताल में तैरने वालों की संख्या के अनुसार राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षित कोच रखने होगें। इस हेतु नियोजित कार्मिकों की पूर्ण सूची मय फोटो, पते, पहचान व पुलिस वेरिफिकेशन इस कार्यालय को दी जायेगी।
12. अनुबंधकर्ता फर्म को तरणताल परिसर में सामान्य सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने हेतु एक गार्ड रखना आवश्यक होगा। संभागियों के वाहन इत्यादि को पार्किंग में व्यवस्थित पार्क करने/करवाने का दायित्व अनुबंधकर्ता फर्म का होगा। परिसर में अनाधिकृत व्यक्ति व पशुओं का प्रवेश नहीं हो, इसकी जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता फर्म की होगी।
13. तरणताल पर लाइफ गार्ड व कोच की व्यवस्था अनुबंधकर्ता फर्म की होगी। लाईफ गार्ड के बिना तरणताल का संचालन नहीं किया जावेगा। लाईफ गार्ड व कोच अनुभवी व प्रशिक्षित ही रखने होगें।
14. अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा लगाये गये गार्ड/लाइफ गार्ड/प्रशिक्षित तैराक/कोच की न्यूनतम आयू 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह पूर्णतः स्वस्थ व संक्रामक बिमारी रहित होना चाहिए। अनुबंधकर्ता द्वारा लगाये गये कार्मिक को साफ–सुथरा रहना होगा तथा वे राज्य सरकार के नियमानुसार परिसर में तम्बाकू, धूम्रपान, मद्यपान एवं किसी प्रकार का नशा आदि नहीं करेंगे।
15. तरणताल संचालन का समय प्रातः 05.30 बजे 12.30 बजे तक तथा सांय 04.00 बजे से 07.30 बजे तक रहेगा। इस समय के अलावा स्काउट सरोवर (तरणताल) संचालन बंद रहेगा।
16. तरणताल के जल को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप स्वच्छ रखने व आस–पास की सफाई की पुख्ता व्यवस्था अनुबंधकर्ता फर्म को करनी होगी। तरणताल परिसर में प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबन्ध रहेगा। अतः इसका विशेष ध्यान रखा जावे।
17. सफल निविदादाता स्काउट सरोवर (तरणताल) परिसर में अमर्यादित सामग्री अथवा कार्यवाही को स्थान नहीं देगा।
18. शर्तों के उल्लंघन अथवा व्यापक जनहित में अनुबन्ध अवधि बीच में भी रोकी जा सकती है।

जिला सचिव

8

19. आकस्मिक कार्यों यथा बाढ़ राहत, महामारी व अन्य इत्यादि की दशा में स्काउट सरोवर (तरणताल) सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा अस्थाई रूप से अधिकृत किया जा सकेगा, जिसका पृथक से किराया देय नहीं होगा, परन्तु अवधि जिसके लिए स्काउट सरोवर (तरणताल) अधिगृहित किया गया, उतने दिवस/माह की गणना अनुसार देय राशि कार्यालय प्राप्त नहीं करेगा/लौटायेगा।
20. अनुबंधकर्ता फर्म निविदा से सम्बन्धित वस्तुओं की सुरक्षा स्वयं करेगी, संस्थान प्राकृतिक आपदा, आगजनी, चोरी, हानि, नुकसान एवं सभी सामान को लाने ले जाने पर टूट—फूट आदि के लिए उत्तरदायी नही होगा।
21. वर्तमान में प्रभावी किसी भी राजकीय कानून/समस्त नियमों आदि की पालना का पूर्ण दायित्व भी निविदादाता का होगा। यह कार्यालय इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा।
22. अनुबंधकर्ता फर्म को 50 प्रतिशत राशि अनुबन्ध छूटने के सात दिवस में जमा करानी होगी। शेष राशि कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर जमा करानी होगी।
23. अनुबंधकर्ता फर्म को धरोहर/सुरक्षा राशि के अतिरिक्त विशेष सुरक्षा राशि (टूट—फूट एवं विद्युत व्यय) 01.00 लाख रू. इस कार्यालय में कार्यादेश जारी होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर जमा करानी होगी।
24. राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय, जयपुर के तत्वाधान में आयोजित होने वाले अभिरूचि एवं लघु उद्योग प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने वाले छात्र/छात्राओं को सम्पूर्ण शिविरावधि में (अवधि लगभग 1 से $1^{1/2}$ माह) कोचिंग मय तैरना सिखाने का कार्यालय द्वारा राशि रू. 700/— प्रति छात्र/छात्रा के हिसाब से भुगतान किया जावेगा। इस हेतु सम्बन्धित निविदादाता को शिविरावधि समाप्त होने के पश्चात् एकमुश्त राशि का बिल प्रमाणीकरण सहित इस कार्यालय को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
25. पानी को साफ रखने के लिए कैमिकल्स काम में लिये जायेगें, जिनका कोई साईड इफैक्ट नही हो। यदि तैराकी करने वालों के स्वास्थ्य पर पर विपरित असर/दुष्प्रभाव हुआ तो इसकी समस्त जिम्मेदारी अनुबंधकर्ता फर्म होगी। यदि सफाई सामग्री व रसायनों में किसी प्रकार की मिलावट पाई गई तो सामग्री जब्त कर अनुबन्ध निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
26. अनुबंध अवधि समाप्त होने पर फर्म द्वारा स्काउट सरोवर (तरणताल), शौचालय, स्नानघर एवं परिसर के सामान्य व सुचारू स्थिति में स्काउट कार्यालय को सौंपना होगा। इस बाबत् कार्यालय से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि व नियमानुसार विशेष सुरक्षा राशि (टूट—फूट एवं विद्युत व्यय) मुक्त की जावेगी।
27. कोविड—19 महामारी के कारण लॉकडाउन की स्थिति में तत्समय जारी निर्देश प्रभावी होंगे।
28. राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय, जयपुर को कार्यालय की आवश्यकता या किन्ही अपरिहार्य कारणवश उत्पन्न परिस्थिति को मध्यनजर रखते हुए बिना कोई कारण बताये निविदा प्रक्रिया/आदेश को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। जमा राशि उपयोग अवधि की गणना के अनुसार निर्धारित करते हुए जमा कर, शेष राशि नियमानुसार लौटाई जा सकेगी। इस क्रम में निविदा समिति का सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।

स्थान : ....
दिनांक : ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

फर्म का नाम ....
फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता ....
....
....
टेलीफोन नम्बर ....

जिला सचिव
... मुख्यालय, जयपुर

"निविदादाता द्वारा घोषणा"

उपरोक्त समस्त जानकारी/शर्तों का मैंने/हमने अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार है कि सचिव, राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड, जिला मुख्यालय, जयपुर का निर्णय हमारे लिये मान्य होगा। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मेरी/हमारी फर्म उक्त कार्य हेतु रजिस्टर्ड है तथा फर्म द्वारा वास्तव में बिड में चाहा गया व्यवसाय किया जाता है तथा वांछित मशीन/उपकरण/तकनीकी अनुभव व तकनीकी कर्मचारी आदि उपलब्ध है। राज्य सरकार/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वायतशासी संस्थान/निगम/बैंक आदि के द्वारा मेरी/हमारी फर्म को ब्लैक लिस्ट नहीं किया हुआ है। प्रतिकस्वरूप निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर (मयसील) कर दिये है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेण्ट हूँ/हैं।

यदि ये घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्यवाही, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप में समपहृत कर लिया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

स्थान : ....
दिनांक : ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

फर्म का नाम ....
फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता ....
....
....
टेलीफोन नम्बर ....

जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-
(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
(g) Disclose conflict of interest, if any; and
(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-
The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.
A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.
(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:
(a) Have controlling partners/shareholders in common; or
(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or '
(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or
(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or
(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or
(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or
(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of .... in response to their Notice inviting Bids No ……... Dated .... I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder
Name :
Designation :
Address :

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is **State Secretary, RSBS&G, Jaipur**
The designation and address of the Second Appellate Authority is **State Chief Commissioner, RSBS&G, Jaipur**

1. **Filing an appeal**
   if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved: Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings: Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financialbids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

2. The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

3. If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

4. **Appeals not to lie in certain cases**

   No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-
   (a) Determination of need of procurement;
   (b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process;
   (c) The decision of whether or not to enter into negotiations;
   (d) Cancellation of a procurement process;
   (e) Applicability of the provisions of confidentiality.

5. **Form of Appeals**

   (a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
   (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,
   (c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post orauthorised representative.

6. **Fee for filing Appeal**

   (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
   (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर

7. **Procedure for disposal of Appeal**

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing
(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-
 (i) Hear all the parties to appeal present before him; and
 (ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**
Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:
(a). If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
(b). It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and
(c). If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.
If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**
(a) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.
(b) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.
(c) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**
As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

जिला सचिव
जिला ...

राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड

जिला मुख्यालय

टोडरमल मार्ग, बनीपार्क, जयपुर – 302016 (राज.)

टेलीफोन व फैक्स नं. – 0141–3510171 ई-मेल – div_jaipur2008@rediff.com

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

अनुलग्नक – ई (चैक लिस्ट) : संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची

क्र. सं.	विवरण	संलग्न किये गये (हाँ/नहीं)	पृष्ठ संख्या
1.	सम्पूर्ण बोली प्रपत्र मय शर्तों के (निविदा दस्तावेज) हस्ताक्षर कर संलग्न है।		
2.	बोली शुल्क राशि रू. 500/– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न है।		
3.	बोली प्रतिभूति राशि रू. 8,000/– बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संलग्न है।		
4.	आयकर खाता संख्या (पैन नम्बर) की हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
5.	पंजीयन प्रमाण–पत्र के रूप में जी.एस.टी.आई.एन. पंजीयन क्रमांक की हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
6.	निविदा से सम्बन्धित अनुभव प्रमाण–पत्रों (कार्यानुभव) एवं सन्तोषजनक कार्य सम्पादन प्रमाण पत्र की हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
7.	विनिर्माता/वास्तविक डीलर/अधिकृत विक्रेता आदि का घोषणा प्रपत्र एस.आर. प्ररूप–11 में फर्म/निविदादाता के लैटरपैड पर हस्ताक्षर कर संलग्न है।		
8.	नवीनतम कर बकाया नहीं हेतु गत त्रैमास (जनवरी, 2022 से मार्च, 2022 तक) की जी.एस.टी. रिटर्न की प्रति (GSTR-1/GSTR-3B/Other) की हस्ताक्षरित छांयाप्रति संलग्न है।		
9.	विगत तीन वर्षों 2020–21, 2021–22 व 2022–23 में से किसी एक वित्तीय वर्ष में निविदत्त न्यूनतम लागत के 50 प्रतिशत के बराबर टर्नओवर के सी.ए. द्वारा प्रमाणित दस्तावेज (प्रमाण–पत्र) की प्रति संलग्न है। दस्तावेज पर UDIN अंकित होना आवश्यक है।		
10.	अन्य प्रपत्र जो बोलीदाता संलग्न करना चाहते है।		

स्थान : ....

दिनांक : ....

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

फर्म का नाम ....
फर्म के पत्र व्यवहार का पूरा पता ....
....
....
टेलीफोन नम्बर ....

जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर

Annexure E : Form of Bid-Securing Declaration

(on rupees 100 non-judicial stamp duly notarized)

Date :
Bid No. :
Alternative No. :

To :

We, the undersigned, declare that:

We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-Securing Declaration.

We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely :-

(a) when we withdraw or modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed;and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for a period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.

We understand this Bid Securing Declaration shall expire if :-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed :---------------------------------------

Name :---

In the capacity of :---------------------------

Duly authorized to sign the bid for and on behalf of :

Dated on day of
Corporate Seal ---------------------------------------

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid.]

हस्ताक्षर निविदादाता
मय मोहर

जिला सचिव
जिला मुख्यालय, जयपुर